न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2335–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–5–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, डबरा जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 17/2012–13/अ–12.

.....

श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी डी.पी. गुप्ता
निवासी सराफा बाजार, जैन मंदिर के पास डबरा
तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....आवेदिका

विरूद्ध

वीरेन्द्र सिंह पुत्र हीरासिंह
निवासी ठाकुरबाब मंदिर रोड, डबरा
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 10 अप्रैल, 2014)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–5–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक वीरेन्द्र सिंह द्वारा तहसीलदार, डबरा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मगरौरा, तहसील डबरा जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1810 रकबा 2.100 हेक्टेयर उसके स्वामित्व की है, जिसका सीमांकन किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 17/2012–13/अ–12 पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 9–5–2013 को सीमांकन आदेश पारित किया गया है । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमंकन की कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की

कोई सूचना नहीं दी गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदिका की ओर से सीमांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका की आपत्ति का निराकरण नहीं कर संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 129 के अंतर्गत बने सीमांकन नियमों का पालन किए बिना सीमांकन आदेश पारित किया गया है, इस कारण भी उक्त सीमांकन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक की ओर से सूचना उपरांत भी किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 9–5–2013 में इस आशय का उल्लेख है कि अनावेदक द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक, डबरा को निर्देशित किया गया । राजस्व निरीक्षक ने भूमि का सीमांकन कर रिपोर्ट पंचनामा सहित प्रस्तुत की । तद्नुसार अनावेदक की भूमि का सीमांकन हो चुका है, अतः प्रकरण में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण दायर कर समाप्त किया जाये । तहसीलदार का उक्त आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है, क्योंकि सीमांकन कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है । आवेदक की ओर से आवेदन पत्र कब प्रस्तुत किया गया, किस दिनांक को राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु निर्देश दिये गये एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा किस दिनांक को सीमांकन किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसका कोई उल्लेख आदेश में नहीं है । स्पष्टतः तहसीलदार का बोलता हुआ आदेश नहीं है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदिका द्वारा सीमांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका की आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि अनुरूप नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–5–2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण संहिता की धारा 129 के अंतर्गत विधिवत सीमांकन कार्यवाही कर आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार, डबरा को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर